

**कार्यालय : सहायक औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रण प्रशासन, गया  
(भगवा प्रमुंडल कार्यालय परिषार, गया)**

ज्ञापांक - 43।

गया, दिनांक - 12.09.18

प्रेसिट,

प्रो. अमित कुमार  
मेसर्स निवा नेडिकल हॉल,  
अतरी, जेहियन रोड, टेनसा, गया।

**विषय-** आपके प्रतिष्ठान में ब्लाप अनियन्त्रिताओं के आलोक में अनुद्धरणों के निलंबन के संबंध में।  
**संदर्भ-** औषधि नियंत्रक, नीमचकबद्धानी अनुमंडल, गया का पत्रांक 33, दिनांक 24.08.17 एवं इस कार्यालय का स्पष्टीकरण ज्ञापांक 722, दिनांक 12.10.2017, स्मार ज्ञापांक 840, दिनांक 11.11.17 एवं अंतिम स्मार ज्ञापांक 272, दिनांक 23.06.18।

उपरोक्त विषयक, दिनांक 23.08.17 को औषधि नियंत्रक, नीमचकबद्धानी अनुमंडल, गया के द्वारा आपके प्रतिष्ठान के छान में पाई गई अनियन्त्रिताओं के आलोक में इस कार्यालय के स्पष्टीकरण ज्ञापांक 722, दिनांक 12.10.2017 के द्वारा आपसे स्पष्टीकरण एवं याचित अग्रिमता की मांग की गई थी। निवारित अवधि बीत जाने के बाद भी आपके द्वारा न तो स्पष्टीकरण एवं न ही याचित अग्रिमता की मांग की मांग की गयी थी। निवारित अवधि में समर्पित किया गया, एवं इस कार्यालय के स्मार ज्ञापांक 840, दिनांक 11.11.17 से आपको स्मारित करते हुए स्पष्टीकरण एवं याचित अग्रिमता समर्पित करने का पुनः अनुरोध किया गया, इसके बावजूद आपके द्वारा याचित अग्रिमता एवं स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। फलतः इस कार्यालय के ज्ञापांक 272, दिनांक 23.06.18 से अंतिम रूप से स्मारित करते हुए स्पष्टीकरण एवं याचित अग्रिमता समर्पित करने का पुनः अनुरोध किया गया, किन्तु वास-वार अनुरोध किए जाने एवं अवसर दिए जाने के बावजूद आपके द्वारा न तो स्पष्टीकरण समर्पित किया गया और न ही याचित अग्रिमता। आपका उपरोक्त कृत्य न रिकॉर्ड औषधि एवं प्रतिष्ठान समग्री नियमावली, 1945 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, बल्कि औषधि नियन्त्रों के प्रति आपकी आत्मा एवं निष्ठा को भी दर्शाता है।

अतएव, औषधि एवं प्रसाधन समग्री नियमावली, 1945 के नियन्त्रण 66(1) में प्रदत्त राखियों का प्रयोग करते हुए आपको प्रदत्त औषधि विक्रय अनुद्धरण संख्या GR31/2016-प्रयत्र 20वी एवं GR31A/2016-प्रयत्र 21वी, निर्गत दिनि 27.10.2016 को पत्र प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के लिए निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में औषधियों का क्रय, विक्रय, प्रदर्शन एवं वितरण किया जाना अवैध है एवं निलंबन अवधि में प्रतिष्ठान खुला पाये जाने अथवा क्रय, विक्रय, प्रदर्शन एवं वितरण करते हाए जाने पर संस्थान की अनुद्धरणों को रद्द करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सहायक औषधि नियंत्रक  
औषधि नियंत्रण प्रशासन, गया